

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 156 / 11-सी-FP/UP/Road/41235/2019, लखनऊ, दिनांक: जुलाई 20, 2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
चित्रकूटधाम वृत्त,
बांदा।

विषय:- जनपद-हमीरपुर में बिलरायाँ-पनवाड़ी मार्ग (राज्य मार्ग-21) के चैनेज 399.600 से 427.000 (चिकासी से राठ) तक 4-लेन में चौड़ीकरण एवं सृष्टीकरण में प्रभावित 49.32 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2611 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव सं०- FP/UP/Road/41235/2019

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०६/३८/२०२०/एफ०सी०/६७३, दिनांक 15.06.2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण आपके पत्रांक-174/33-1, दि० 15.07.2020 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसके परीक्षणोपरान्त निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी:-

1. भारत सरकार की आपत्ति सं०-3 के निराकरण के क्रम में चैनेज वाइज Land Schedule संलग्न नहीं किया गया है।
2. भारत सरकार की आपत्ति सं०-6 के निराकरण के क्रम में संलग्न किये गये Cost benefit analysis में वृक्षारोपण किये जाने वाले पौधों की संख्या गलत अंकित की गयी है। अतः संशोधित Cost benefit analysis संलग्न करें।
3. भारत सरकार की आपत्ति सं०-7 के निराकरण के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर आख्या/प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
4. भारत सरकार की आपत्ति सं०-9 के निराकरण के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर आख्या/प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर भारत सरकार की आपत्तियों का पूर्ण समेकित बिन्दुवार निराकरण अभिलेखों एवं संस्तुति सहित तीन प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।
पत्रांक 163/33-1/दिनांक, हमीरपुर, जुलाई 20, 2020
परिलिपि :- आदेशाधी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो०नि०वि०
हमीरपुर को इस आशय से भेजा है कि पत्र का
अवलोकन करे एवं आपत्तियों का निराकरण कर
सुनिश्चित करे।

भवदीय

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 156 / 11-सी-FP/UP/Road/41235/2019, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।
2. अवर अभियन्ता (सिविल), निर्माण खण्ड-2, लो०नि०वि०, हमीरपुर।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।